06/02/25 पत्रावली पेश वास्ते आर्डर टेड की गई। हमेश पत्रावली का अध्ययन किया गया। वकील की बहस पर मनन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र / वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में फैसल अलग से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद शर्त दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व वाद न0 :– 158 / 2022
दायर दिनांक :– 19 / 7 / 2022
निर्णय दिनांक :– 06/2/25

उनवान

1. अतरसिंह पुत्र हीरालाल जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड तहसील बहरोड़। ....प्रतिवादी
2. गिन्दोडी देवी पत्नि जगमाल जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
3. भुपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवसी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
4. मुकेश कुमार पुत्र जगमाल जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
5. सतीश कुमार पुत्र जगमाल जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
6. उषा देवी पन्ति भुपसिंह जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
7. ओमा देवी पत्नि मुकेश जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
8. रामकला देवी पत्नि अमरसिंह जाति अहीर निवासी सरविन्दपरुा तहसील बहरोड़।
9. सुमन देवी पत्नि सतीश जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।

.... तरतीबी प्रतिवादी

दावा दुरूस्ती इन्द्राजात मश्वहरे इसके कि वादी का नाम अतरसिंह के स्थान पर अमरसिंह एवं वादी के पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर हरिसिंह दर्ज कर दिया जिसको दुरूस्त किया जाकर मुताबिक दस्तावेज के अमरसिंह के स्थान पर अतरसिंह एवं हरिसिंह के स्थान पर हीरालाल दर्ज किया जाने बाबत्।

उपस्थित :–

1. श्री सुरेशचन्द प्रजापती अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 01
3. श्रीमती रितु यादव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 9

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश की गई। हमारे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि 1. यह कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1363 रकबा 0.46 हैक्टयर वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर राज. में स्थित है व खसरा नम्बर 1052 रकबा 1.08 हैक्टयर वाके ग्राम मोमनपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिसे वाद पत्र के आगामी सभी पदो में आराजी मुतनाजा से सम्बोधित किया जा रहा है। यह कि आराजी मुतनाजा वादी के कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी काबिज रहकर फसल दर फसल काश्त करता आ रहा है जिससे राजस्व रिकार्ड को देखने आदि की कोई आवश्यकता नही हुई जिससे वादी को इस गलत इन्द्राज की जानकारी नही हो सकी। वादी का नाम अतरसिह पुत्र हीरालाल है तथा मन वादी के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज एव आधार कार्ड पैन कार्ड पहचान पत्र व

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

अन्य राजस्व रिकार्ड आदि में भी अतरसिह पुत्र श्री हीरालाल दर्ज है तथा मन वादी को गावं में अतरसिह पुत्र हीरालाल नाम से जानते एव बुलाते है। अब दिनांक 15.06. 2022 को मन वादी पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड को देखने गया एवं पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड जानकारी प्राप्त की तो पटवारी हल्का ने बताया कि खसरा नम्बर 1363 में वादी के पिता का नाम हरिसिह दर्ज होना एव खसरा नम्बर 1052 में वादी का नाम अमरसिह दर्ज होना बताया। जिस पर मन वादी ने पटवारी हल्का से मुताबिक दस्तावेज के अमरसिह के स्थानपर अतरसिह एव पिता का नाम हरिसिह के स्थान पर हीरालाल दर्ज करने का निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि श्रीमान् तहसीलदार साहब बहरोड से आदेश लेकर आने पर ही दुरूस्त होगा। मन वादी हाल रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर ज्ञान हुआ कि मन वादी का नाम राजस्व विभाग के कर्मचारीगण एव अधिकारीगण ने बिना मन वादी से पुछताछ किये बिना दस्तावेजो का अवलोकन किये, मन वादी का गावं मे बोलता नाम अमरसिह एव पिता का नाम हरिसिह दर्ज कर दिया जो मुताबिक दस्तावेज के अमरसिह के स्थान पर अतरसिह एव पिता का नाम हरिसिह के स्थान पर हीरालाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी अपने सभी दस्तावेज लेकर श्रीमान् तहसीलदार साहब बहरोड के पास गया एवं आराजी मुतनाजा में मन वादी का नाम अमरसिह के स्थान अतरसिहं तथा पिता का नाम हरिसिह के स्थान पर हीरालाल दर्ज करवाने का निवेदन किया जिस पर श्रीमान् तहसीलदार साहब बहरोड ने कहा सक्षम न्यायालय मे दुरूस्ती का दावा दायर कर दुरूस्त करवाये जिस सुरत में दावा दुरूस्ती इन्द्राजात किया जाना लाजिम आया है। वादी का नाम शैक्षणिक एव अन्य दस्तावेजात तथा अन्य राजस्व रिकार्ड में अतरसिह पुत्र. हीरालाल दर्ज है लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने बिना मौके पर पुछताछ किये, मन वादी का नाम अतरसिह के स्थान पर गावं मे बोलता नाम अमरसिह एवं पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर हरिसिह विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर दिया जो खिलाफ मौका, खिलाफ कब्जा, खिलाफ दस्तावेज है। जिसको मुताबिक दस्तावेज के दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 1052 वाके ग्राम मोमनपुर में अमरसिह के स्थान पर अतरसिह तथा खसरा नम्बर 1363 वाके ग्राम बर्डोद हरिसिह के स्थान पर हीरालाल अंकित किया जावे अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न दादरसी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर अता फरमाया जाने की कृपा कि डिकी दुरूस्ती इन्द्राजात बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की फरमायी जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1363 रकबा 0.46 हैक्टयर वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड 1052 रकबा 1.08 हैक्टयर वाके ग्राम मोमनपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जो खसरा नम्बर 1363 वाके ग्राम बर्डोद में वादी के पिता का नाम राजस्व विभाग के कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने हीरालाल के स्थान पर हरिसिह दर्ज कर दिया जो खिलाफ दस्तावेज है जिसको मुताबिक दस्तावेजात हरिसिह के स्थान पर हीरालाल दर्ज किया जावें तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1052 वाके ग्राम मोमनपुर में वादी का नाम राजस्व विभाग के कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने अतरसिह के स्थान पर अमरसिंह दर्ज कर दिया जो खिालाफ दस्तावेज है। जिसकसे मुताबिक दस्तावेज के दुरूस्त की जाकर वादी का नाम अमरसिंह के स्थान पर अतरसिंह राजस्व रिर्काड में अंकित किया जावें। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 2 लगायत 9 ने इकवाल जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

हम उत्तरदाता का इक्बाल जवाब स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता तो हमे कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी नम्बर 01 पेरोकार ने अपने जवाब दावा वादी स्वयं सिद्व करे बाबत अंकित किया है। प्रतिवादीगणो द्वारा अपने जवाब दावा में कोई आपत्ति पेश नही की है।

हमारे द्वारा वकुलाय की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया तथा वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी संवत 2073–2076 के आराजी खसरा नम्बर 1363, में अतरसिंह पुत्र हरिसिंह व खाता संख्या 14 में अतरसिंह पुत्र हीरालाल, खसरा नम्बर 30, में अतरसिंह पुत्र हीरालाल, आराजी खसरा नम्बर 1052 वाके ग्राम मोमनपुर में अमरसिंह के स्थान पर अतरसिंह तथा आराजी खसरा नम्बर 1363 वाके ग्राम बर्डोद में हरिसिंह के स्थान पर हीरालाल दर्ज करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। जिस हेतु तहसीलदार बहरोड़ ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। जिस सूरत में वादी का वाद काबिल डिक्री पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1052 वाके ग्राम मोमनपुर में अमरसिंह के स्थान पर अतरसिंह तथा आराजी खसरा नम्बर 1363 वाके ग्राम बर्डोद में हरिसिंह के स्थान पर हीरालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार से राजस्व अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

आज दिनांक 06.02.25 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व वाद न0 :– 158 / 2022
दायर दिनांक :– 19 / 7 / 2022
निर्णय दिनांक :– 06/02/25

उनवान

1. अतरसिंह पुत्र हीरालाल जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड तहसील बहरोड़।
.........प्रतिवादी
2. गिन्दोडी देवी पत्नि जगमाल जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
3. भुपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवसी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
4. मुकेश कुमार पुत्र जगमाल जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
5. सतीश कुमार पुत्र जगमाल जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
6. उषा देवी पत्नि भुपसिंह जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
7. ओमा देवी पत्नि मुकेश जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।
8. रामकला देवी पत्नि अमरसिंह जाति अहीर निवासी सरविन्दपरुा तहसील बहरोड़।
9. सुमन देवी पत्नि सतीश जाति अहीर निवासी सरविन्दपुरा तहसील बहरोड़।

.... तरतीबी प्रतिवादी

दावा दुरूस्ती इन्द्राजात मश्वहरे इसके कि वादी का नाम अतरसिंह के स्थान पर अमरसिंह एवं वादी के पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर हरिसिंह दर्ज कर दिया जिसको दुरूस्त किया जाकर मुताबिक दस्तावेज के अमरसिंह के स्थान पर अतरसिंह एवं हरिसिंह के स्थान पर हीरालाल दर्ज किया जाने बाबत्।

उपस्थित :–

1. श्री सुरेशचन्द प्रजापती अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 01
3. श्रीमती रितु यादव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 9

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश की गई। हमारे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1052 वाके ग्राम मोमनपुर में अमरसिंह के स्थान पर अतरसिंह तथा आराजी खसरा नम्बर 1363 वाके ग्राम बर्डोद में हरिसिंह के स्थान पर हीरालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार से राजस्व अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 06/2/25 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)